वित्तीय स्वीकृतियां

संख्या- 1/202343 /52-3-2023-52-3099/120/2022

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में मदरसों के कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन मद के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4529/अ०सं०क०नि०-26/लेखा-मद०पेंशन-ग्रे०/2022-23 दिनांक 11-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान-33/पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्ण धनराशि रू0 55.00 लाख का निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 तथा सं0-5/2022/बी-1-224/दस- 2022-231/2022, दिनांक-29 मार्च, 2022 के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि रू0 55,00,000/- (रू० पचपन लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की थी राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक / डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) पेंशन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के सापेक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पेंशनादि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 31.03.2023 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सेवा निवृत्त सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2023 तक देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-48 के लेखापीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल 109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की पेंशन 03-पेंशन आदि का भुगतान 0302 दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों को पेंशन / परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी-33- पेंशन / आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.12.2021 तथा दिनांक- 29 मार्च, 2022 में निहित प्रावधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिददीकी)

उप सचिव।

संख्या- 43(1)/52-3-2023-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त (ई-4) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में) / नियोजन अनु-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।

6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आजा से,

(शकील अहमद सिददीकी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।